-1-

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 Rs

50

रिवीजन 399-II/2002

C 80/81

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्र0 -------- पुनरावलोकन
2002

श्री प्रदीप के श्रीवास्तव एडवोकेट
द्वारा आज दि० 19/2/02 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

19 FEB 2002

19.2.02

1- रामनिवास पुत्र गया प्रसाद

2- श्रीमती गीता पत्नी श्री सुरेश (स्व0) 40वर्ष

3- कु0 रेखा पुत्री श्री सुरेशआयु 20 वर्ष

4- कु0 विभा पुत्री श्री सुरेश आयु 19 वर्ष

5- कु0 आभा पुत्री सुरेश आयु 16 वर्ष.

6- कु0 छाया पुत्री श्री सुरेश आयु 13 वर्ष
नाबालिग सरपरस्त माँ श्रीमती गीता

7- श्री रूपेश पुत्र श्री स्व0 श्री सुरेश आयु 11 वर्ष

8- रंजीत पुत्र स्व0 सुरेशआयु 9 वर्ष

9- शरद कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेश आयु 7 वर्ष
सभी नाबालिग सरपरस्त माँ श्रीमती गीता
निवासी ग्राम दतिया, बसई तहसील व जिला
दतिया म0प्र0 - आवेदक गण

विरुद्ध

1- बाबू

2- कमला
पुत्र एवं पुत्री स्व0 श्री हरलाल निवासीगण
ग्राम बसई तहसील व जिला दतिया म0प्र0
-- अनावेदकगण

पुनरावलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 एवं अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 विरुद्ध आदेश दिनांक 9-11-2001 द्वारा पारित पीठासीन सदस्य महोदय श्री रामसिंह (राजस्व मण्डल) प्रकरण क्र0 2120-पी0 बी0 आर0 - / 2001 ।

माननीय महोदय,

आवेदक गण का पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र निम्नलिखित है:-

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 399/ ।।/2002 रिव्यू जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-2017	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप के. श्रीवास्तव द्वारा यह रिव्यू प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 2120—पी.वी.आर/2001 में पारित आदेश दिनांक 9—11—2001 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यू प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर ग्राह्यता पर विचार किया गया एंव मूल प्रकरण कमांक 2120—पी.वी.आर/2001 में पारित आदेश दिनांक 9—11—2001 का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यू आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :— 1— नई एवं महत्तपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। 2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती। 3— कोई अन्य पर्याप्त कारण। आवेदकगण ने रिव्यू का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। रिव्यू आवेदन में राजस्व मण्डल के आक्षेपित आदेश में प्रत्यक्षदर्शी भूलों के होने का तथा निगरानी मेमों के बिन्दुओं को विचार में नहीं लिए जाने	

का लेख है, किन्तु ऐसी कौन–कौन सी भूलें है और ऐसे कौन–कौन से बिन्द है जिन पर विचार नहीं हुआ, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। रिव्यू आवेदन–पत्र में भी कोई नई बात नहीं लिखी गई है। ना ही तर्क के समय कोई ऐसा नया बिन्दु प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकाश में रिव्यू आवेदन स्वीकार किया जाए। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत सभी रिव्हयू के बिन्दु और आधार राजस्व मण्डल के आक्षेपित आदेश में विधिवत और समुचित रूप से विचारित होकर निर्णित हो चुके है। अतः इस रिव्यू आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यू प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आवेदकगण सूचित हो, प्रकरण दाखिला रिकार्ड हों।

सदस्य